

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 18 जून, 2020, को पूर्वाहन 11:30 बजे वेबिनॉर (Webinar) के माध्यम से सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही :—

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :—

1.	प्रो० नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी०एस०ज०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्षा
2.	मा० न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना पाण्डया, एल-304, अलखनन्दा अपार्टमेन्ट्स, गोमतीनगर, विस्तार, लखनऊ	सदस्या
3.	डॉ० जे०एन० गुप्ता, सी०ई०ओ०, जागरण एजुकेशन फाउण्डेशन, 3/16२, विष्णुपुरी, कानपुर-208001	सदस्य
4.	डॉ० जयवीर सिंह, आर०एम०पी० पी०जी० कालेज, सीतापुर, उ०प्र०,	सदस्य
	“शब्दामितका” 8 महर्षि नगर, आई०आई०एम० रोड, लखनऊ-226013	
5.	डॉ० योगेन्द्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिन्दी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। 409, शान्तिवन अपार्टमेंट, 2ए/244ए, आजाद नगर, कानपुर-208022	सदस्य
6.	डॉ० अनिल कुमार मिश्र, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ० महेश प्रसाद यादव, संकायाध्यक्ष-कृषि, जनता कालेज, बकेवर, इटावा	सदस्य
8.	प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य/संकायाध्यक्ष-एडवांस स्टडीज ऑफ सोशल साइंस, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ० सुषमा देवी, प्राचार्या, इन्डिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय, रायबरेली।	सदस्या
10.	डॉ० मुवनेश कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अकबरपुर, कानपुर देहात।	सदस्य
11.	प्रो० सुमाष चन्द्र अग्रवाल, आचार्य, शिक्षा विभाग, सी०एस०ज०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
12.	डॉ० राजेश कुमार, सह-आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी०एस०ज०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
13.	डॉ० अंशु यादव, सह-आचार्या, आई०बी०एम०, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर	सदस्या
14.	डॉ० सुधान्धु पाण्डया, सह-आचार्य, आई०बी०एम०, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर	सदस्य
15.	डॉ० नलिन कुमार, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर।	सदस्य
16.	डॉ० मृदुलेश सिंह, सहायक आचार्य, आई०बी०एम०, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्य
17.	डॉ० अनिल कुमार यादव, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०ज०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया ने कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :—

मद सं. 1— कार्य परिषद की विगत बैठक दिनांक 28.04.2020 की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार।

परिषद ने दिनांक 28.04.2020 की अपनी बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

मद सं. 2— परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.06.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.06.2020 की कार्यवाही को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया तथा तदानुसार अग्रेतर कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की।

मद सं. 3— विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की परीक्षाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की परीक्षाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सचिव कार्यपरिषद द्वारा चर्चा करते हुये अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की वर्ष 2020 की परीक्षाएं दिनांक 25 फरवरी, 2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 17 मार्च, 2020 तक सम्पन्न हो चुकी परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन 05 मई, 2020 से प्रारम्भ कर दिया गया था, परन्तु कोविड-19 की वैशिक महामारी के कारण शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 18 मार्च, 2020 से आगे की समस्त परीक्षाएं व मूल्यांकन अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः 01 जून, 2020 से मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ किया, जो 12 जून, 2020 तक सम्पन्न हुआ। परन्तु विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर सेंटर के कुछ कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद मूल्यांकन कार्य बन्द करना पड़ा। माननीय कार्यपरिषद वर्ष 2020 की परीक्षाओं के मूल्यांकन से संसूचित हुई।

मद सं. 4— उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27.09.2002 तथा उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, अधिसूचना संख्या: 975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 एवं इससे सम्बन्धित सुसंगत अन्य उत्तर प्राप्त शासन द्वारा जारी अब तक आदेशों का विश्वविद्यालय परिनियम में अंगीकृत किया जाना।

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से शासनादेश संख्या: 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27.09.2002 व तत्सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों को विश्वविद्यालय परिनियम में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया। साथ ही उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, अधिसूचना संख्या: 975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 को यथास्थान प्रतिस्थापित किये जाने का निश्चय किया गया।

मद सं. 5— विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा Innovation के कार्य हेतु पुरस्कृत करना तथा Sanitization Chamber के बनाने में रूपये 11,000/- प्रति Chamber के व्यय से माननीय सदस्यों को अवगत करवाना।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा किए गये Innovation के कार्य पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा

Innovation के कार्य हेतु पुरस्कृत करने तथा Sanitization Chamber के बनाने में रूपये 11,000/- प्रति Chamber के व्यय से माननीय कार्यपरिषद संसूचित हुई।

अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

18.6.2020
डॉ०(अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव/सचिव

18/6/2020
प्रो०(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्षा

कार्यालय पत्राक: कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर/ R.Camp/2005 /2020, दिनांक 18.06.2020

- प्रतिलिपि:
- मा० सदस्यगण—कार्यपरिषद की सेवा में सादर सूचनार्थ।
 - वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
 - सम्बन्धित पत्रावली।

18.6.2020
डॉ०(अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव/सचिव